-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **विश्वासघात कर पूर्व परिचित को बुलाकर अपहरण व बंधक बनाकर नगद व UPI के माध्यम से फिरौती वसूलने वाले 04 अभियुक्तों को चिल्ला पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से एक अंगूठी, एक टूटी हुई चैन, 369800 रुपये, 01अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व एक ऑटो (घटना में प्रयुक्त)बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में विश्वासघात कर अपहरण कर व बंधक बनाकर फिरौती वसूलने वाले 04 अभियुक्तों को आज दिनांक 15.07.2025 को थाना चिल्ला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दयाराम पुत्र गंगादीन निवासी पुराना कानपुर जनपद कानपुर नगर जो की कानपुर नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है, वही किराए का कमरा लेकर रहता है उसी मकान में थाना चिल्ला क्षेत्र का रहने वाला शिवगोविन्द सोनी उर्फ पिंटू सोनी अपनी पत्नी मोना देवी के साथ रहता था जिससे दयाराम की पहचान हो गई थी. कुछ दिन पूर्व पिंटू सोनी वह मकान छोड़कर अपने परिवार के साथ फतेहपुर आकर रहने लगा । दिनांक 11.7.2025 को मोना देवी ने दयाराम को फोन करके फतेहपुर आने को कहा और बोली चाचा कुछ जरूरी बात करनी है, जब दयाराम फतेहपुर पहुंचा तो लखनऊ बाईपास के पास शिवगोविन्द सोनी उर्फ पिंटू सोनी ,उसकी पत्नी मोना देवी उसका भाई बजरंगी सोनी तथा दो अन्य लोग एक ऑटो में उसका अपहरण कर उसे अपने घर कस्बा चिल्ला जनपद बांदा ले गए और वहां बंधक बनाकर मारपीट कर फिरौती मांगने लगे । अभियुक्तों ने दयाराम की सोने की चेन, अंगूठी तथा ₹15000 छीन लिए अभियुक्तों द्वारा तमंचे के बल पर दयाराम से उसकी UPI Id का पिन प्राप्त कर 299800 रूपये मोना देवी के खाते में ट्रांसफर कर लिए गए । पीड़ित दयाराम दिनांक 14. 07.2025 की रात्रि में उनसे बचकर थाना चिल्ला पहुंचा । थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत करते हुए 04 अभियुक्तों को चिल्ला बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों ने कड़ाई से पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार किया अभियुक्त शिवगोविन्द सोनी उर्फ पिन्टू सोनी ने बताया कि वह कानपुर में रहकर ऑटो चलाता था तथा अपने परिवार के साथ उसी मकान में रहता था जहां दयाराम किराए पर रहता था उसकी पत्नी मोना देवी और दयाराम की फोन पर बातचीत होती थी जिस कारण उसने वह मकान छोड़ दिया और फतेहपुर आ गया । उसने अपनी पत्नी मोना देवी भाई बजरंगी सोनी तथा अन्य दो साथियों के साथ मिलकर दयाराम का अपहरण कर ₹500000 फिरौती मांगने की योजना बनाई थी ।

बरामदगी-

- 03 लाख 69 हजार 800 रुपये
- एक अदद अंगूठी पीली धातु
- एक अदद टूटी हुई चैन पीली धातु
- 01अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- घटना में प्रयुक्त एक ऑटो

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवगोविन्द सोनी उर्फ पिन्टू सोनी पुत्र भाईचन्द्र सोनी निवासी कस्बा चिल्ला थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. चंद्रकान्त तिवारी उर्फ आशू तिवारी पुत्र अरविन्द तिवारी निवासी शास्त्रीनगर कस्बा बहुआ थाना ललौली जनपद फतेहपुर।
3. बजरंगी सोनी पुत्र भाईचन्द्र सोनी निवासी कस्बा व थाना चिल्ला जनपद बांदा हाल पता रेल बाजार देवीगंज थाना राधानगर जिला फतेहपुर।
4. मोना देवी पत्नी पिन्टू सोनी निवासी कस्बा व थाना चिल्ला जनपद बांदा हाल पता रेल बाजार देवीगंज थाना राधानगर जिला फतेहपुर।

वांछित अभियुक्त-

प्रकाश शुक्ला पुत्र कृष्णदत्त शुक्ला निवासी शास्त्री नगर कस्बा बहुआ थाना ललौली जनपद फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 94/25 धारा 191(2)/127(2)/308(3)/308(5) बीएनएस व धारा 3(2)V/3(1)/ 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना चिल्ला जनपद बाँदा।
- बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री रामदिनेश तिवारी
2. उ0नि0 संतोष कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह
4. हे0का0 मुकेश कुमार सिंह
5. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह
6. हे0का0 मुख्तार अहमद
7. का0 मुकेश कुमार सोनकर
8. म0का0 आरती